तारीख 12.11.2021

सार्वजनिक सूचना

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले से संबंधित सिविल अपील सं. 13301/2015 के संबंध में अन्यों के साथ-साथ **आईए नं. 186866/2019** में तारीख 06.10.2021 के आदेश के माध्यम से, निम्नानुसार निदेश दिया:

> ***हमने इंटरलॉक्यूटरी आवेदन में किए गए निवेदन को सही पाया है और हम दिल्ली उच्च न्यायालय के ऑफिशियल लिक्वीडेटर (शासकीय समापक) को यह निदेश देते हैं कि वे नोएडा में स्थित अचल संपत्ति (जिसका पता है - सी-55, सेक्टर-57, नोएडा, उत्तर प्रदेश) का कब्जा सेबी के नोडल अधिकारी-सह-सचिव (जो सेबी के प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं) को सौंप दें । सेबी अपने वेबसाइट पर एक सूचना जारी करे, ताकि उस संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई दावा हो, तो वह सामने आकर अपना दावा प्रस्तुत कर सके और इस संबंध में श्री आर.एस. विर्क फैसला कर सकें ।***

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए तारीख 06.10.2021 के उपरोक्त आदेश और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सी. पी. नं. 67/2015 के मामले में पारित किए गए तारीख 20.09.2021 के आदेश के अनुसार, उपरोक्त संपत्ति ("संपत्ति सं. 55, ब्लॉक-सी, सेक्टर-57, नोएडा") का कब्जा 18.10.2021 को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित) के नोडल अधिकारी-सह-सचिव द्वारा ले लिया गया है ।

यदि किसी व्यक्ति / एंटिटी का उपरोक्त संपत्ति (अर्थात् **संपत्ति सं. 55, ब्लॉक-सी, सेक्टर-57, नोएडा, उत्तर प्रदेश**) के संबंध में कोई दावा हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 14 (चौदह) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपना दावा (उसके समर्थन में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ) प्रस्तुत कर सकता है । ऐसा न किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि ऐसा कोई दावा है ही नहीं और / या ऐसा दावा छोड़ दिया गया है । ऐसे दावे श्री आर.एस. विर्क, जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के कार्यालय को भिजवा दिए जाएँ, जिसका पता इस प्रकार है:

श्री आर.एस. विर्क,
जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त),
चौथी मंज़िल, प्लॉट सं. 226, ए-2,
सेक्टर - 17, द्वारका, नई दिल्ली: 110078

नोडल अधिकारी-सह-सचिव
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति
(पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित)